दिन—शुक्रवार　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक— 18 / 10 / 2024

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारणः— अपराह्न 03:10 बजे से।　　　　　　　　　　　　　　　　अवधिः— 05 मिनट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बाल विवाह जीवन साथी स्वंय चुनने की इच्छा का उल्लंघन करता है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किया है। पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, दो हजार छह बाल विवाह रोकने और उसके उन्मूलन के लिए बनाया गया था।

———————————————————————————

प्रदेश में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर छत्तीस हो गई है। सीवान, सारण और गोपालगंज जिलों से कुछ अन्य मामले सामने आए हैं। मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा ने बताया कि सीवान में सत्ताईस और सारण में सात लोगों की मौत गयी। वहीं, गोपालगंज से भी दो मामलों की पुष्टि हुई है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कहा कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक सारण के मशरख गए थे और उन्होंने संदिग्ध जहरीली शराब का सेवन किया था। सीवान, सारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से हुयी मौत के मामले में अब तक सैंतालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो सौ पचास जगहों पर छापे मारे गये। इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

———————————————————————————

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में असीम सम्भावनाएं हैं। सरकार ने फिल्म निर्माण और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति दो हजार चौबीस बनायी है। कला–संस्कृति और युवा विभाग की ओर से आज पटना में आयोजित बिहार फिल्म कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये श्री सिन्हा ने कहा कि इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को सरकार अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य देशभर के फिल्म निर्माताओं को बिहार की ओर आकर्षित करना है। कॉन्क्लेव में फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन तथा मनोज तिवारी भी शामिल हुए।

बिहार की चार विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए उप–चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गयी है। प्रत्याशी पच्चीस अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। अट्ठाईस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। उम्मीदवार तीस अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान तेरह नवम्बर को कराया जायेगा, जबकि मतों की गिनती तेईस नवंबर को होगी। इमामगंज सुरक्षित सीट से हम के जीतनराम मांझी, रामगढ़ से राजद के सुधाकर सिंह, बेलागंज से राजद के सुरेन्द्र प्रसाद यादव और तरारी से भाकपा–माले के सुदामा प्रसाद के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई इन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है।

परिवहन विभाग ने बिना लाईसेंस और नाबालिगों द्वारा ई–रिक्शा समेत अन्य तिपहिया वाहन का परिचालन करने पर वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही ऐसे लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये हैं। विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर विशेष अभियान चलाने को कहा है।

रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा एक सौ बीस दिन से घटाकर साठ दिन कर दी है। अब अग्रिम टिकट दो महीने पहले ही लिए जा सकेंगे। यह बदलाव पहली नवंबर से लागू होगा। हालांकि, इस महीने की इकतीस तारीख़ तक चार महीने बाद तक की टिकट ली जा सकेगी। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इन रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि पहले से ही कम है। वहीं, विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम आरक्षण की समय–सीमा तीन सौ पैंसठ दिन बनी रहेगी।

———————————————————————————

समाप्त